कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक १२३२ / १४-१ उन्नाव, दिनांक , १२-१२ - ९

सेवा में.

	मुख्य वन संरक्षक,,
	लखनऊ मण्डल, उ०प्र०,
	लखनऊ।
प्रस्ताव सं0—	लखनजा FP/UP/Road/25904/2017 जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन
विषयः—	नम/0P/Roau/25304/2021 जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दहा चाका पापर खण्य जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दहा चाका पापर खण्य प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर उन्नाव तक बाईपास रोड़ के निर्माण में प्रभावित 7.3624 है0 आरक्षित प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर उन्नाव तक बाईपास रोड़ के निर्माण में प्रभावित 7.3624 है0 आरक्षित
	प्रशिक्षण केन्द्र दस्तिनिगर उन्नाय राय नार वर्षों के पातन के सम्बन्ध में।
	$\pi_{\rm H}$ and \pi_{\rm H} and $\pi_{\rm H}$ and \pi_{\rm H} a
सन्दर्भः–	भारत सरकार का पत्रांक II / 1902 / आरईसी / 2014–उ0प्र0(पाट–2) / 244 पर मक भारत सरकार का पत्रांक II / 1902 / आरईसी / 2014–उ0प्र0(पाट–2) / 244 पर मक जगर्गका सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण
	जगरोकन सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरपगर बारा यहां

ाव ऑनलाइन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

	कर प्रस्ताव ऑनलाइन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्र	षित ह। निराकरण
<b>S.No.</b>	आपत्तियाँ No of trees to be felled shall be corrected in	प्रस्ताव के भाग–2 में काटे जाने वाल पड़ा का संख्या संशोधित कर दी गयी है।
2	Alternative alignments as per FCA guidelines need to be submitted in respect of minimum tuge folling and minimum forest area.	सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र आनलाइन जनसाउ दिया गया है। सैद्वान्तिक सहमति के उपरान्त ही संरेखण तय किया गया है।
3	A joint site inspection of the proposed alignment shall be carried out by the DFO and concerned CCF along with Mr. Subhash Chandra Superintendent Engineer to explore possible alternatives since the present alignment is bifurcating the forest block.	
	alignment is blief and g	/

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, 🛛 उन्नाव

/ समदिनांक

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। पत्रांक अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रतिलिपिः— प्रतिलिपिः– हेत् प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

#### <u>भाग–2</u>

# (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

## प्रपोजल संख्या— FP/UP/Road/25904/2017

ד ווסח	ोजना / स्कीम का स्थान	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी
7 परिय	लिमा/ रपगम पग रथान	पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर
		क ित्य जन्मत में प्रभावित होने वाला 7.3624
		हे0 वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के
		सम्बन्ध में।
		उत्तर प्रदेश
	प/संघ शासित क्षेत्र	उन्नाव
(ख) जिल	ना	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव
(ग) वन	प्रभाग	आरक्षित 7.3624 हे0 वनभूमि
(घ) वनेव	तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	आरक्षित वन भूमि
(ड) वन	की कानूनी स्थिति	0.01
(च) हरि	रेयाली का घनत्व	0.01 प्रस्तावित वन भूमि पर 376 वृक्ष प्रभावित हो रहा है
(m) II.	गतिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षो की परिगणना	प्रस्तावित वन भूमि पर 376 पृथा प्रभावित का रहा
(ज्यं	लग्न की जाये) सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.	
्या	र एल एफ आर एल 4 मी भी सलग्न किय जाय।	नगण्य
(जन) भूष	भूरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर साक्षप्त टिप्पणा	22 किमी0
(झ) वर्ग	नेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से	22 147410
्य	नमानित दरी।	<del>Ci</del> * i
(न) क	गा फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल,	नहीं हैं।
G I	रेजर्त बाघ रिजर्व हॉथी कारीडोर आदि का भाग हे (याद हो,	
क्षे	त्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों	
अ	ग्नबन्धित की जाये)	0: 1
(oT) 0	पत्र में वनस्पति और प्राणि जाति क	
	र्भल/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पायी जाती है यदि हॉ	,
	गे तत्मम्बस्धी ब्योरा दें।	
	प्रोक्ना फर्जेसी दारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि	ने न्यूनतम है।
1 1-	🕂 भाराष्ट्राता गरिगोजना के लिये अपरिहाय आर न्युनतम ध	5
	पदि नहीं तो मॉगे गये विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवा	र
	संगचन थेन त्या है।	
-	रण राधिनिगम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया	है नही
	(न (नमें) गरि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारिया प	र
	हा नहा याद हो ता कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघ की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघ	न
	सम्बन्धी कार्य भी चल रहे है।	
	सम्बन्धा कार्य मा पुरा रहे हो। प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	
	प्रतिपूरक वनीकरण स्पर्भा पर्भ ज्यारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अबक्रमि	गत ग्राम–पसनिया खेड़ा
(क)	प्रतिपूरक वनाकरण के लिप आगावनारत कार्य कर्ण वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्ये	क आकार–आयताकार
	वन क्षेत्र आसपास पर पर्ना से रसका दूस हुन का मान भूखण्ड का आकार आदि का विवरण	
	भूखण्ड का आकार जापि पर्य निर्माणित सोन (शतकपि	मेत संलग्न है।
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवकर्षि प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवकर्षि	IN ANT CI
	वन क्षेत्र आसपास की सीमाओं को दर्शाता मैंप।	रण शीशम, कंजी तथा नीम आदि।
(ग)	रोपित की जाने वाली प्रजातियो सहित प्रतिपूरक वनीक	
	स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लाग	
	ढॉचा आदि	18,90,000.00
(घ)	1. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	
	2. मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्व	रूपया 70,51,560.00

LT

(ड)	वर्तमान मूल्य प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से	संलग्न है।
11	प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षीरत किया जाये) जिला उपवन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः	संलग्न है।
12	उपर्युत कालम–7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यो को दर्शाते हुये (संलग्न करे) विभाग/जिला प्रोफाइल	455800.00 <u></u> を0
(i) (ii)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र जिले का वन क्षेत्र मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया	16643.84 हे0 54 मामले, 399.17 हे0
(iii) 13	मामल का संख्या साहत 1980 स वनेतार प्रयोग ग सावा गया कुल वन क्षेत्र 1980 से निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य	Δ_
(i) (ii)	दण्ड के रूप में वन भूमि पर	95.0 हे0 216.16 हे0 तथा 62803 पौध 75.0807
(iii 14	) गैर वन भूमि प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति दण्ड के रूप में वनीकरण	89.00 हे0
(i) (ii (ii	) वन भूमि पर ) गैर वन भमि पर वनीकरण	155.58 हे0 तथा 31304 पौध 4.81
15		जनहित में परियोजना को स्वीकृति किये जाने की संस्तुति की जाती है।

Rolunnae)

उप प्रभागीय वनाधिकारी उन्नाव

**४४** प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, र्दे उन्नाव

LT

## <u>प्रपोजल सं0–FP/UP/Road/25904/2017</u> न्यूनतम भूमि संबंधी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर तक जिला—उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना में दर्शित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

उप प्रभागीय वनाधिकारी

Re (Unnal)

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, द उन्नाव



## SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest Land to be diverted under F.C. Act, 1980)

#### Proposal No.- FP/UP/ROAD/25904/2017

A proposal has been received by this office from सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव for diversion under Forest (Conservation) Act, 1980 of 7.3624 Ha. Of forest land for nonforest purpose. The project envisages the use of forest land for Established of दही चौकी पावर हाउस से अग्निसमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर, उन्नाव तक के मध्य मार्ग का निर्माण।

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by the undersigned on dated  $\dots 2 1 \mid 12 \mid 2022$ 

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is protected and Reserve forest land measuring 7.3624 Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. (Yes)

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in this area. If so, the details thereof. (NO)

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monuments is located in the area. If so, the details there of with NOC from Competent Authority. if required. (NOT PRESENT)

The user agency has not violated the provision of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. (YES)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The proposal is recommended accordingly.

Divisional Director Social Forestry Division, Z Unnao

Place:- Unnao

Date:-